संख्या-34/2016/1747/18-4-2016-14(बजट)/07

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर,2016

विषय- "विशिष्ट शिल्पकारो के लिए पेंशन योजना" के अंतर्गत पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक-1123/13-हस्त0/ह0पे0शि0/2016-17, दिनांक 16-08-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत 08 वर्षो से लगातार बढ़ी हुई मंहगाई तथा हस्तशिल्पियों के इस व्यवसाय से पलायन को रोकने तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने हेतु "विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना" विषयक शासनादेश संख्या-2843/18-4-2007-14(बजट)/07 दिनांक 18-02-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में उल्लिखित पेंशन की धनराशि रू0 1000/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 2000/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या-2843/18-4-2007-14(बजट)/07 दिनांक 18-02-2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.2.2008 में उल्लिखित शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेंगी। संशोधित व्यवस्था माह अक्टूबर,2016 से प्रभावी होगी।

3- कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1747(1)/18-4-2016 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
3. गोपन अनुभाग-1
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।